

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग  
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:-प्र0/ऊर्जा स्था0-06/2026- //

/पटना, दिनांक:- 05.02.2026

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-49-सह-पठित ज्ञापांक-1891 दिनांक-13.06.2024 को संशोधित करते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-5 की उपधारा-1 के तहत विभाग में अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रीमती ऋचा कुमारी, प्रशाखा पदाधिकारी-6 को अगले आदेश तक विभागीय लोक सूचना पदाधिकारी नामित/प्राधिकृत किया जाता है।

2. उक्त प्रस्ताव पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/-  
(सुधा गुप्ता),  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-प्र0/ऊर्जा स्था0-06/2026-

/पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-श्रीमती ऋचा कुमारी, प्रशाखा पदाधिकारी-6, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-प्र0/ऊर्जा स्था0-06/2026- 622

/पटना, दिनांक:- 05.02.2026

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग के आप्त सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सुश्री खुशबू कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, एवं आई0टी0 प्रबंधक, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
सरकार के संयुक्त सचिव।